



KINGGEORGE'SMEDICALUNIVERSITYU.P.,LUCKNOW

कार्यवृत्त दिनांक 08/08/2024

चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या-494(ए)/प्रा0/2024 दिनांक 08.08.2024 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ में कार्यरत संकाय सदस्यों के लिए "केजीएमयू संकाय सदस्य आचार संहिता" बनाये जाने हेतु दिनांक 08.08.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों की बैठक आयोजित की गयी जिसमें समस्त सदस्य उपस्थित हुए।

प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों द्वारा गहनता से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्नवत के.जी.एम.यू. संकाय सदस्य आचार संहिता बनाये जाने की संस्तुति करती है:-

PREAMBLE

1. The King George's Medical University is dedicated to motives of research, education and patient care. The vision of the university is to become one of the world's best providers of high quality teaching and excellence in education, generate outstanding leaders in health sciences, promote multidisciplinary scientific biomedical research and provide compassionate, patient-centered care of the highest quality.
2. The University adheres to the principles of ethics and professionalism and caters to instill these values in its faculty members a sense of medical ethics, moral values, team spirit, responsibilities and sense of integrity Also, it nurtures professionalism and behavioral skills in medical professionals.
3. It endeavors to provide a work environment that enhances competency through knowledge and skills, reading and learning activities and continuous education.

CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT

Consistent with the mission and vision policies of the University, the faculty at the King George's Medical University is expected to lead by example by adhering to following:

1. Treat all staff, students and trainees with fairness, respect and civility without bias based on age, gender, race, ethnicity, religion, disability or sexual orientation.
2. When assigned an administrative or supervisory role, they should be open to feedback and should contribute by giving constructive suggestions and improvement when remediation is required. Also, help in resolving conflicts in a fair and non-threatening manner.
3. The faculty is expected to be punctual when reporting to their assigned work area like OPDs, classroom or wards.
4. When assigned a teaching role, they should teach courses in their department in accordance with the needs, requirements and expectations of the unit and the general requirements concerning the conduct of classes specified in university regulations.
5. Good teaching requires continual application and effort. Faculty who teach are expected to keep abreast of new developments in their specialties and should make effort to upgrade and keep improvising their teaching skills A teacher should be engaged with his/her particular discipline and should be able to convey to the students the value of the subject.
6. As a teacher, they should be able to identify students with sub-optimal performance and make arrangements for extra classes or remedial training sessions for these to bring them at par with the other students.
7. As a teacher, they should make effort to instill in their students ethical and moral values too.

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Unish
Chief Proctor
King George Medical University
U.P. Lucknow



8. When in the role of a clinician, the faculty is bound to deliver high standard of patient care without any bias or prejudices. The faculty is expected to treat the patient and their attendants with respect and civility. Also, they are expected to maintain confidentiality regarding patient's diagnosis and treatment.
9. The faculty is expected to actively contribute to medical research in the form of medical paper publications, paper presentations and intra and extra-mural projects. Also, they are encouraged and motivated to think out-of-the box and come up with innovations/patents related to their field of work.
10. The faculty should exhibit a constant effort to contribute to the progress and of University and medical profession as a whole.

THE FACULTY SHOULD REFRAIN FROM

1. Any discrimination among the colleagues, subordinate staff or students on the basis of caste, culture, religion, gender or socio-economic background.
2. Any form of indiscipline in regards to punctuality, honesty or morality. They should strictly refrain from any inappropriate behavior suggestive of sexual harassment.
3. Should never expect/demand personal favors from patients, staff or students.
4. Should not be involved in any suspicious activities or mal-practices which bring a bad name to the University and medical profession as whole.
5. Should not overlook or violate University/ administrative policies.

(डा० सुहेल सद्दकी)
सहायक प्राक्टर

(डा० अंजनी पाठक)
सहायक प्राक्टर

(डा० शिउली)
सहायक प्राक्टर

(डा० भुपेन्द्र कुमार)
सहायक प्राक्टर

(डा० सुषमा तोमर)
सहायक प्राक्टर

(डा० वैभव जायसवाल)
सहायक प्राक्टर

(डा० आर०के० दीवान)
सहायक प्राक्टर

(डा० विकास वर्मा)
एडिशनल प्राक्टर

(डा० अंशु बजाज)
एडिशनल प्राक्टर

(डा० दुर्गेश कु० द्विवेदी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा० रीमा कुमारी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा० क्षितिज श्रीवास्तव)
चीफ प्राक्टर

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Khushi
Chief Proctor
King George Medical University
U.P. Lucknow

कार्यवृत्त दिनांक 17/09/2024

चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या-635 (ए)/प्रा0/2024 दिनांक 13.09.2024 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ में विद्यार्थियों के लिए "के०जी०एम०यू० विद्यार्थी आचार संहिता" बनाये जाने हेतु दिनांक 17.09.2024 को अपराह्न 03:00 बजे प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों की बैठक प्राक्टर कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें समस्त सदस्य उपस्थित हुए।

प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों द्वारा गहनता से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्नवत के०जी०एम०यू० विद्यार्थी आचार संहिता बनाये जाने की संसुति करती है:-

विद्यार्थी का आचार संहिता उन नियमों और दिशानिर्देशों का एक सेट है जो एक अनुशासित सकारात्मक और सीखने के अनुकूल वातावरण बनाए रखने में मदद करते हैं। सभी विद्यार्थियों को इन नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि वे अपने शैक्षणिक और नैतिक विकास को सुचारु रूप से आगे बढ़ा सकें।

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता के प्रमुख नियम:-

1. अनुशासन एवं समय पालन:-

- विद्यालय / महाविद्यालय में समय पर पहुंचें।
- कक्षाओं में ध्यान दे और व्यवधान उत्पन्न न करें।
- किसी भी परीक्षाया गतिविधि में अनुचित साधन (नकल आदि) का प्रयोग न करें।

2. सम्मान और सद्भावना:-

- शिक्षकों कर्मचारियों और सहपाठियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें।
- जाति, धर्म लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव न करें।
- किसी भी प्रकार की बदतमीजी, गाली-गलौज या हिंसा से बचें।

3. ईमानदारी और नैतिकता:-

- शैक्षणिक कार्यों में ईमानदारी रखें और नकल से बचें।
- चोरी, झूठ और अन्य अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें।

4. स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण:-

- विद्यालय / महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखें।
- प्लास्टिक और अन्य हानिकारक कचरे का उचित निपटारा करें।

5. संस्थान की संपत्ति का संरक्षण:-

- पुस्तकालय की किताबें, लैब के उपकरण, फर्नीचर आदि को नुकसान न पहुंचाएं।
- संस्थान के संसाधनों का सही उपयोग करें।

6. तकनीक और सोशल मीडिया का सही उपयोग:-

- मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दुरुपयोग न करें।
- साइबरबुलिंग, अनुचित गेस्ट और अफवाह फैलाने से बचें।

7. टीम वर्क और सहयोग:-

- समूह गतिविधियों और परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लें।
- दूसरों की मदद करें और सामूहिक विकास को प्राथमिकता दें।

Archan
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Minji
Chief Proctor
King George Medical University
U.P. Lucknow

कार्यवृत्त दिनांक 10/10/2024

चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या-689 (ए)/प्रा0/2024 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्रा०, लखनऊ में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के लिए "के०जी०एम०यू० कर्मचारी का आचार संहिता" बनाये जाने हेतु दिनांक 09.10.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों की बैठक आहूत की गयी जिसमें समस्त सदस्य उपस्थित हुए।

प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों द्वारा गहनता से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्नवत के.जी.एम.यू. कर्मचारी आचार संहिता बनाये जाने की संस्तुति करती है:-

के०जी०एम०यू० कर्मचारियों के लिए आचार संहिता एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो उनके कार्यों और आचरण को दिशा निर्देशित करता है। यह न केवल सरकारी कर्मचारियों की नैतिकता और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है बल्कि यह समाज में विश्वास और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है।

- नैतिकता और ईमानदारी:- के०जी०एम०यू० कर्मचारी समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आचार संहिता उन्हें नैतिकता और ईमानदारी के उच्च मानकों को धर धर कर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
- पारदर्शिता:- यह सुनिश्चित करती है कि के०जी०एम०यू० कर्मचारी अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें, जिससे जनता का विश्वास बना रहे।
- जिम्मेदारी:- आचार संहिता कर्मचारियों को उनके कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाती है। इससे वे अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने के लिए प्रेरित होते हैं।
- व्यक्तिगत आचरण:- के०जी०एम०यू० कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत जीवन शैली में भी उच्च मानकों का पालन करना चाहिए। जिससे किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए।
- कार्यस्थल पर व्यवहार:- कार्यस्थल पर कर्मचारियों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव रखना चाहिए। उन्हें अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए।
- राजनीतिक गतिविधियाँ:- के०जी०एम०यू० कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से बचना चाहिए, ताकि उनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे।
- सूचना का संरक्षण:- सरकारी कर्मचारियों को संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी गोपनीय जानकारी सार्वजनिक न हो।

आचार संहिता का अनुपालन:- के०जी०एम०यू० कर्मचारियों द्वारा आचार संहिता का अनुपालन आवश्यक है। यदि कोई कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। यह कार्यवाही कर्मचारी की स्थिति और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर की जाती है।

आचार संहिता का उल्लंघन:- संस्थान उल्लंघन की शिकायतों की जांच करके और संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करके संहिता को लागू करता है। जिसमें निंदा, प्रमाणन को रद्द करना या संस्थान से निष्कासन शामिल हैं।

निष्कर्ष:- के०जी०एम०यू० कर्मचारियों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है, बल्कि यह समाज में विश्वास और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है। इसलिए सभी कर्मचारियों को इसका पालन करना चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकें और समाज में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।

(डा० सुहैल सिद्धकी)
सहायक प्राक्टर

(डा० अंजनी पाठक)
सहायक प्राक्टर

(डा० शिउली)
सहायक प्राक्टर

(डा० भुपेन्द्र कुमार)
सहायक प्राक्टर

(डा० सुपमा तोमर)
सहायक प्राक्टर

(डा० वैभव जायसवाल)
सहायक प्राक्टर

(डा० आर०के० दीवान)
सहायक प्राक्टर

(डा० विकास वर्मा)
एडिशनल प्राक्टर

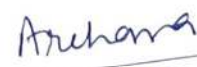
(डा० अंशु बजाज)
एडिशनल प्राक्टर

(डा० दुर्गेश कु० द्विवेदी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा० शीमा कुमारी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा० शक्तिज श्रीवास्तव)
चीफ प्राक्टर


Chief Proctor
King George Medical University
U.P. Lucknow


Registrar
King George Medical University
Lucknow



KINGGEORGE'SMEDICALUNIVERSITYU.P.,LUCKNOW

कार्यवृत्त दिनांक 08/08/2024

चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या-494(ए)/प्रा0/2024 दिनांक 06.08.2024 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्रा0, लखनऊ में कार्यरत संकाय सदस्यों के लिए "के0जी0एम0यू0 संकाय सदस्य आचार संहिता" बनाये जाने हेतु दिनांक 08.08.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों की बैठक आहूत की गयी जिसमें समस्त सदस्य उपस्थित हुए।

प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों द्वारा गहनता से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्नवत के.जी.एम.यू. संकाय सदस्य आचार संहिता बनाये जाने की संस्तुति करती है:-

PREAMBLE

1. The King George's Medical University is dedicated to motives of research, education and patient care. The vision of the university is to become one of the world's best providers of high quality teaching and excellence in education, generate outstanding leaders in health sciences, promote multidisciplinary scientific biomedical research and provide compassionate, patient-centered care of the highest quality.
2. The University adheres to the principles of ethics and professionalism and caters to instill these values in its faculty members a sense of medical ethics, moral values, team spirit, responsibilities and sense of integrity Also, it nurtures professionalism and behavioral skills in medical professionals.
3. It endeavors to provide a work environment that enhances competency through knowledge and skills, reading and learning activities and continuous education.

CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT

Consistent with the mission and vision policies of the University, the faculty at the King George's Medical University is expected to lead by example by adhering to following:

1. Treat all staff, students and trainees with fairness, respect and civility without bias based on age, gender, race, ethnicity, religion, disability or sexual orientation.
2. When assigned an administrative or supervisory role, they should be open to feedback and should contribute by giving constructive suggestions and improvement when remediation is required. Also, help in resolving conflicts in a fair and non-threatening manner.
3. The faculty is expected to be punctual when reporting to their assigned work area like OPDs, classroom or wards.
4. When assigned a teaching role, they should teach courses in their department in accordance with the needs, requirements and expectations of the unit and the general requirements concerning the conduct of classes specified in university regulations.
5. Good teaching requires continual application and effort. Faculty who teach are expected to keep abreast of new developments in their specialties and should make effort to upgrade and keep improvising their teaching skills A teacher should be engaged with his/her particular discipline and should be able to convey to the students the value of the subject.
6. As a teacher, they should be able to identify students with sub-optimal performance and make arrangements for extra classes or remedial training sessions for these to bring them at par with the other students.
7. As a teacher, they should make effort to instill in their students ethical and moral values too.

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Unish
Chief Proctor
King George Medical University
U.P. Lucknow

कार्यवृत्त दिनांक 10/10/2024

चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या-689 (ए)/प्रा0/2024 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के लिए "के0जी0एम0यू0 कर्मचारी का आचार संहिता" बनाये जाने हेतु दिनांक 09.10.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों की बैठक आहूत की गयी जिसमें समस्त सदस्य उपस्थित हुए।
प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों द्वारा गहनता से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्नवत के.जी.एम.यू. कर्मचारी आचार संहिता बनाये जाने की संस्तुति करती है:-

के0जी0एम0यू0 कर्मचारियों के लिए आचार संहिता एक महत्वपूर्ण दास्तावेज है, जो उनके कार्यों और आचरण को दिशा निर्देशित करता है। यह न केवल सरकारी कर्मचारियों की नैतिकता और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है बल्कि यह समाज में विश्वास और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है।

- नैतिकता और ईमानदारी:- के0जी0एम0यू0 कर्मचारी समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आचार संहिता उन्हें नैतिकता और ईमानदारी के उच्च मानकों कपर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
- पारदर्शिता:- यह सुनिश्चित करती है कि के0जी0एम0यू0 कर्मचारी अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें, जिससे जनता का विश्वास बना रहे।
- जिम्मेदारी:- आचार संहिता कर्मचारियों को उनके कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाती है। इससे वे अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने के लिए प्रेरित होते हैं।
- व्यक्तिगत आचरण:- के0जी0एम0यू0 कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत जीवन शैली में भी उच्च मानकों का पालन करना चाहिए। जिससे किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए।
- कार्यस्थल पर व्यवहार:- कार्यस्थल पर कर्मचारियों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव रखना चाहिए। उन्हें अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए।
- राजनीतिक गतिविधियाँ:- के0जी0एम0यू0 कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से बचना चाहिए, ताकि उनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे।
- सूचना का संरक्षण:- सरकारी कर्मचारियों को संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी गोपनीय जानकारी सार्वजनिक न हों।

आचार संहिता का अनुपालन:- के0जी0एम0यू0 कर्मचारियों द्वारा आचार संहिता का अनुपालन आवश्यक है। यदि कोई कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। यह कार्यवाही कर्मचारी की स्थिति और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर की जाती है।

आचार संहिता का उल्लंघन:- संस्थान उल्लंघन की शिकायतों की जांच करके और संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करके संहिता को लागू करता है। जिसमें निंदा, प्रमाणन को रद्द करना या संस्थान से निष्कासन शामिल हैं।

निष्कर्ष:- के0जी0एम0यू0 कर्मचारियों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है, बल्कि यह समाज में विश्वास और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है। इसलिए सभी कर्मचारियों को इसका पालन करना चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकें और समाज में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।

(डा0 सुहैल सिद्धकी)
सहायक प्राक्टर

(डा0 अंजनी पाठक)
सहायक प्राक्टर

(डा0 शिउली)
सहायक प्राक्टर

(डा0 भुपेन्द्र कुमार)
सहायक प्राक्टर

(डा0 सुषमा तोमर)
सहायक प्राक्टर

(डा0 वैभव जायसवाल)
सहायक प्राक्टर

(डा0 आर0के0 दीवान)
सहायक प्राक्टर

(डा0 विकास वर्मा)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 अंशु बजाज)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 दुर्गेश कु0 द्विवेदी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 रीमा कुमारी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 क्षितिज श्रीवास्तव)
चीफ प्राक्टर

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Chief Proctor
King George Medical University
U.P. Lucknow

कार्यवृत्त दिनांक 17/09/2024

चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या-635 (ए)/प्रा0/2024 दिनांक 13.09.2024 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ में विद्यार्थियों के लिए "के०जी०एम०यू० विद्यार्थी आचार संहिता" बनाये जाने हेतु दिनांक 17.09.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों की बैठक प्राक्टर कक्ष में आयोजित की गयी जिसमें समस्त सदस्य उपस्थित हुए।

प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों द्वारा गहनता से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्नवत के.जी.एम.यू. विद्यार्थी आचार संहिता बनाये जाने की संसुति करती है:-

विद्यार्थी का आचार संहिता उन नियमों और दिशानिर्देशों का एक सेट है जो एक अनुशासित सकारात्मक और सीखने के अनुकूल वातावरण बनाए रखने में मदद करते हैं। सभी विद्यार्थियों को इन नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि वे अपने शैक्षणिक और नैतिक विकास को सुचारु रूप से आगे बढ़ा सकें।

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता के प्रमुख नियम:-

1. अनुशासन एवं समय पालन:-

- विद्यालय /महाविद्यालय में समय पर पहुंचें।
- कक्षाओं में ध्यान दे और व्यवधान उत्पन्न न करें।
- किसी भी परीक्षाया गतिविधि में अनुचित साधन (नकल आदि) का प्रयोग न करें

2. सम्मान और सद्भावना:-

- शिक्षकों कर्मचारियों और सहपाठियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें।
- जाति, धर्म लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव न करें।
- किसी भी प्रकार की बदतमीजी, गाली -गलोज या हिंसा से बचें।

3. ईमानदारी और नैतिकता:-

- शैक्षणिक कार्यों में ईमानदारी रखें और नकल से बचें।
- चोरी, झूठ और अन्य अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें।

4. स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण:-

- विद्यालय /महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखें।
- प्लास्टिक और अन्य हानिकारक कचरे का उचित निपटारा करें।

5. संस्थान की संपत्ति का संरक्षण:-

- पुस्तकालय की किताबें, लैब के उपकरण, फर्नीचर आदि को नुकसान न पहुंचाएं।
- संस्थान के संसाधनों का सही उपयोग करें।

6. तकनीक और सोशल मीडिया का सही उपयोग:-

- मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दुरुपयोग न करें।
- साइबरबुलिंग, अनुचित गैस्ट और अफवाह फैलाने से बचें।

7. टीम वर्क और सहयोग:-

- समूह गतिविधियों और परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लें।
- दूसरों की मदद करें और सामूहिक विकास को प्राथमिकता दें।

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Minshi
Chief Proctor
King George Medical University
U.P. Lucknow

8. आत्म-अनुशासन और आत्म निर्भरता:-

- अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लें।
- लक्ष्य निर्धारित करें और नियमित अध्ययन करें।

9. समस्या समाधान और संवाद:-

- किसी भी समस्या को शांति और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें।
- शिक्षिकों और प्रबंधन से मार्गदर्शन करें।

10. परिधान और व्यवहार:-

- संस्थान द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करें।
- शालीन और मर्यादित आचरण बनाएं रखें।

निष्कर्ष :-विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता न केवल उनके व्यक्तिगत और शैक्षणिक विकास में मदद करती है। बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है। इन नियमों का पालन करके वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं।

(डा० सुहैल सिद्धकी)
सहायक प्राक्टर

(डा० अंजनी पाठक)
सहायक प्राक्टर

(डा० शिउली)
सहायक प्राक्टर

(डा० भूपेन्द्र कुमार)
सहायक प्राक्टर

(डा० सुषमा तोमर)
सहायक प्राक्टर

(डा० वैभव जायसवाल)
सहायक प्राक्टर

(डा० आर०के० दीवान)
सहायक प्राक्टर

(डा० विकास चूमी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा० अंकुर बजाज)
एडिशनल प्राक्टर

(डा० दुर्गेश कु० द्विवेदी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा० रीमा कुमारी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा० क्षितिज श्रीवास्तव)
चीफ प्राक्टर

Chief Proctor
King George Medical University
U.P. Lucknow

Registrar
King George Medical University
Lucknow